रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

LM 1/1/4 (6)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 1989/चैत्र 9, 1911
No. 161] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1989/CHAITRA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1989

सा.का.नि. 398(अ) :—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु और सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु और सेवानिवृत्ति) उपदान (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु और सेवा-निवृत्ति) उपदान नियम, 1983 में,—

(i) नियम 2 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) "उपलब्धियां" से कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा-निवृत्ति से ठीक पूर्व या अपनी मृत्यु की तारीख को, ऐसे विशेष वेतन या उसकी वैयक्तिक अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए उसे मंजूर किए गए ऐसे वेतन से जो उसके द्वारा अधिष्ठाई रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारित किसी पद के लिए उसे मंजूर किया गया है, या जिसका वह किसी काडर में अपनी स्थिति के कारण हकदार है, भिन्न वेतन के रूप में ली गई रकम अभिप्रेत है;";

Attested

Ram Parkash 7/1/94
सहायक नियंत्रक (प्रकाशन)
Asstt. Controller (Periodical)
भारत सरकार,
Govt. of India.
प्रकाशन विभाग,
Department of Publication
सिविल लाइन, दिल्ली
Civil Lines, Delhi

1.50 75 2.25

(ii) नियम 5 में,—

(क) उपनियम (1) में, "36,000 रुपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, मद (i), (ii) और (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्ननलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सेवा की अवधि	उपदान की दर
(i) एक वर्ष से कम	उपलब्धियों का दुगना
(ii) एक वर्ष या उससे अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	उपलब्धियों का 6 गुना
(iii) 5 वर्ष या उससे अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	उपलब्धियों का 12 गुना
(iv) 20 वर्ष या उससे अधिक	उपलब्धियों के अधिकतम 33 गुने के अधीन रहते हुए अर्हक सेवा की पूरी की गई प्रत्येक 6 मास की अवधि के लिए उपलब्धियों का आधा परंतु मृत्यु उपदान की रकम किसी दशा में एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी" ।

[फा. स. जी–35012/5/87 वित्त-ii]

एस. बालचंद्रन, अवर सचिव

पाद टिप्पण —मूल नियम, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 26 दिसंबर, 1983 में सा. का. नि. 919(अ) के रूप में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1989

G.S.R. 398 (E):—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity (Amendment) Rules, 1989;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983,—

(i) for clause (a) of rule 2, the following clause shall be substituted, namely:—

'(a) "Emoluments" means the amount drawn by an employee, immediately before his retirement or on the date of his death, as pay other than special pay or pay granted in view of his personal qualifications which has been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity or to which he is entitled by reason of his position in a cadre,

(ii) in rule 5,—

(a) in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs. 36,000", the words "rupees one lakh" shall be substituted,

(b) in sub-rule (2), for items (i), (ii) and (iii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Length of Service	Rate of Gratuity
(i) Less than one year.	2 times of emoluments.
(ii) One year or more but less than 5 years.	6 times of emoluments.
(iii) 5 years or more but less than 20 years.	12 times of emoluments.
(iv) 20 years or more.	Half of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments provided that the amount of Death Gratuity shall in no case exceed one lakh rupees."

[F. No. G—35012/5/87-Fin.II]

S. BALACHANDRAN, Addl. Secy.

Food Note: The principal rules were published in the Gazette of India (Extra ordinary)—Part II—Section 3—Sub-section (i) dated the 26th December, 1983, as GSR 919(E).

Ram Parkash 7/1/94

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989